न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 548/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. रूपसिंह पुत्र स्व0 हेमसिंह 2. बलदेवसिंह पुत्र स्व0 वीरमसिंह 3. आनन्दकंवर पुत्री स्व0 वीरमसिंह 4. संतोषकंवर पुत्री स्व0 वीरमसिंह 5. श्रीमति गेनकंवर पत्नी स्व0 वीरमसिंह 6. रणछोडसिंह पुत्र स्व.नारायणसिंह 7. प्रयागसिंह पुत्र स्व0 नारायणसिंह 8. दलपतसिंह पुत्र स्व.नारायणसिंह जातियान राजपूत निवासीगण चौहटन तहसील चौहटन जिला बाडमेर।		1. अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल डोसी जाति जैन, निवासी चौहटन, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर। 2. अनितादेवी पत्नी अशोक कुमार डोसी जाति जैन, निवासी चौहटन, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर। 3. रेवन्तसिंह उर्फ भूटसिंह पुत्र भगवानसिंह 4. कुलदीपसिंह पुत्र भगवानसिंह जातियान राजपुत निवासी चौहटन, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर। 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध आदेश दिनांक 28.09.2022 जो राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 58/2022 अनवान अशोककुमार वगैराह बनाम रेवन्तसिंह वगैराह में उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित किया।

उपस्थितिः—

1— श्री सुगनमल परिहार, श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2— श्री गुरूनामसिंह, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1, 2 की ओर से।
3— श्री प्रमोद गुप्ता, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3, 4 की ओर से।
4—श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 18 सितम्बर ,2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चौहटन, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर के कृषि भूमि खसरा नं0 1209/651 की 48 बीघा भूमि एवं खसरा नं0 1271/651 रकबा 24 बीघा 03 बिस्वा, कुल रकबा 72 बीघा 03 बिस्वा भूमि के संदर्भ में घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती राजस्व रेकर्ड हेतु सहायक कलक्टर चौहटन के न्यायालय में एक वाद वर्तमान अपीलार्थीगण ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 05 व दो अन्य व्यक्तियों के विरूद्व पेश किया। वाद पत्र के साथ एक नजरी नक्शा परिशिष्ठ ''अ'' के रूप में प्रस्तुत

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किया गया जिसमें बरंग लाल ए, बी, सी, डी, ई, एफ दर्शाया गया। उक्त वाद संख्या 14/2022 अनवान रूपसिंह बनाम भीखेन्द्र वगैरा वर्तमान में सहायक कलक्टर चौहटन के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.10.2022 मुकर्रर है। उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत जारी करने अस्थायी निषेधाज्ञा भी पेश किया हुआ है जिस प्रार्थना पत्र पर दिनांक 12.04.2022 को यह अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी कि विवादग्रस्त भूमि के संदर्भ में नक्शा परिशिष्ठ 'अ' बरंग लाल ए, बी, सी, डी, ई, एफ के संदर्भ में मौके एव राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति रखी जावे उक्त आदेश आज भी प्रभावी है एवं आगामी पेशी भी दिनांक 14.10.2022 मुकर्रर है तथा जमाबन्दी में भी स्थगन आदेश बाबत नोट अंकित किया हुआ है। रेस्पो0 सं0 एक ता चार को उक्त आदेश की भली–भांति जानकारी होते हुए भी वर्तमान अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बिना ही एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इसी भूमि के संदर्भ में आपसी दुरभि संधि करते हुए पेश कर दिया एवं उसमें मांग की गई की कि उक्त खेत खसरा नं0 1209/651 रकबा 69 बीघा 09 बिस्वा व खसरा नं0 1271/651 की 172 बीघा 02 बिस्वा भूमि के नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम की हुई है जिसे दुरूस्त किया जावे। अपीलार्थीगण को रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र की विचाराधीन होने जानकारी होने पर उन्होने उस प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के तहत पेश किया जिसे लेने से अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने यह कहकर इंकार कर दिया कि इस प्रार्थना पत्र में आगामी पेशी दिनांक 29.09.2022 मुकर्रर है इस कारण उक्त मुकर्रर तारीख पेशी पर ही प्रार्थना पत्र पेश किया जावे ताकि उसी समय पत्रावली के साथ नत्थी किया जा सके अन्यथा प्रार्थना पत्र किसी अन्य पत्रावली में संलग्न हो जावेगा, इस प्रकार यह कहकर मूल प्रार्थना पत्र अपीलार्थीगण को लोटा दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने इसके पश्चात मुकर्रर तारीख पेशी दिनांक 29.09.2022 से पहले ही पत्रावली में तारीख बदल कर एक पूर्व दिनांक 28.09.2022 को ही पत्रावली पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 28.09.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दोनों पक्षकारान अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस को सूना गया। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 चलने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

योग्य ही नहीं था तथा ऐसे मामले मे उक्त प्रावधानों के तहत कोई आदेश दिया ही नही जा सकता था। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु अपीलार्थी ने दिनांक 22.09.2022 को प्रार्थना पत्र पेश किया था परन्तु उक्त तिथी को उक्त प्रार्थना पत्र को इस आधार पर लेने से इंकार कर दिया गया कि पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 29.09.2022 मुकर्रर है इस कारण यह प्रार्थना पत्र मुकर्रर पेशी को ही पेश किया जावें । वाद सूची में भी उक्त प्रकरण की आगामी पेशी 29.09.2022 दर्ज हो रखी थी परन्तु रेस्पोडेन्टस द्वारा इससे पूर्व ही एक प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली को दिनांक 28.09.2022 को तलब करवायी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा भी उसी दिन दिनांक 28.09.2022 को ही फैसला कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय की उक्त तमाम कार्यवाही गैर कानूनी एवं गलत है एवं इसी बिनाय पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ही विवादग्रस्त भूमि के संदर्भ में ही एक नियमित राजस्व वाद हम पक्षकारान् के बीच विचाराधीन है जिस वाद में इस भूमि में अधिकारों एवं भूमि की लोकेशन के संबंध में बिन्दू का निर्णय बाद शहादत से किया जाना है, उक्त तथ्य स्वयं रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद के अवलोकन से भी स्पष्ट था। इन परिस्थितियों में इस प्रकरण में राजस्व रेकर्ड के बारे में कोई इन्द्राज के परिवर्तन का आदेश दिया जाना कतई कानूनी सही नही माना जा सकता है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश तथा न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस ने आपस में दुरभि संधि करते हुए केवल अपीलार्थीगणों की भूमि को हड़प करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ जो राजस्व रेकर्ड पेश किया गया उससे स्पष्ट था कि विवादग्रस्त भूमि के संदर्भ में राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा जारी किया हुआ है। ऐसा लगता है कि अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्वयं ने पत्रावली को देखा ही नही एवं फैसला कर दिया जो स्वयं के द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवमानना के समान है।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पक्षकारान् के बीच नयी मुकदमेबाजी एवं राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन के जरिये वाद बाहुल्य को बढाने के अलावा किसी काम का नहीं हैं। इस तरह का आदेश पारित करने से न्यायालय को बचना चाहिये था जब उसी न्यायालय में नियमित वाद इन्ही पक्षकारान् के बीच विचाराधीन है एवं स्थगन आदेश जारी किया हुआ

संभागीय आयुक्त

है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बिना रेस्पोडेन्टस का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही था। स्वयं अधिनस्थ न्यायालय ने भी पटवारी एवं तहसीलदार से कोई रेकर्ड संबंधी एवं मौके की रिपोर्ट तलब ही नही की। उल्लेखित खसरा नं0 1209/651 के खातेदार के खातेदार में जितना रकबा दर्ज है उससे कही अधिक राजस्व नक्शे मे उसका रकबा बनता है जिस पर कोई गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना मौका रिपोर्ट तलब किये, न्यायालय में विचाराधीन अन्य राजस्व वाद प्रकरण में पारित स्थगन आदेश की वर्तमान स्थिति का अवलोकन किये बिना ही रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्ती किये जाने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो विधि विपरित होने से निरस्त किया जावे तथा अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 126 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश करते हुए निवेदन किया कि उनकी खातेदारी का खेत खसरा सं0 1271/651 रकबा 172.02 बीघा किस्म बा0सो0 मौजा चौहटन तहसील चौहटन में स्थित है जिसकी वर्तमान जमाबंदी की प्रति संलग्न है। प्रार्थीगण के सेढा–सेढ ही रेस्पो0 संख्या 3 व 4 के खातेदारी का खेत खसरा सं0 1209/651 रकबा 69.09 बीघा किस्म बा0सो0 का आया हुआ है। उक्त खसरे की तरमीम करवाते समय रेस्पो0 संख्या 3 व 4 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत के मध्य गलत तौर पर तरमीम करवा दी तथा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का मौके पर कब्जा नक्शे में की गयी तरमीम से विपरीत है। प्रार्थीगण का मौके पर रकबा 172.02 बीघा है जबकि राजस्व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा ट्रेस में प्रार्थीगण का रकबा कम करते हुए प्रार्थीगण का रकबा 172.02 बीघा में से 48 बीघा भूमि की तरमीम रेस्पो0 संख्या 3 व 4 के कब्जे–काश्त में कर दी जो कि गलत तरमीम की गयी है। उक्त गलत तरमीम की आड में रेस्पो0 संख्या 3 व 4 रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की कब्जासुदा भूमि पर अवैद्य कब्जा करने पर उतारू है। मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त अनुसार तरमीम नहीं की जाकर लट्ठा ट्रेस में प्रार्थीगण का 48.00 बीघा रकबा कम करते हुए गलत तरमीम की गयी है। रेस्पो0 संख्या 3 व 4 ने हल्का पटवारी से मिलीभगती कर अपनी मनमर्जी से राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम करवा दी तथा रेस्पो0 संख्या 3 व 4 ने प्रार्थीगण की कब्जासुदा भूमि को अपनी भूमि में समाहित करते हुए नक्शा ट्रेस में आड़ी–तिरछी गलत तरमीम करवरा दी जो मौके पर कब्जा–काश्त के विपरित है। इस प्रकार उक्त तरमीम गलत होने से खारिज

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

कर पुनः मौके एवं कब्जा अनुसार व परिशिष्ठ 'अ' में वर्णित बिन्दू ए,बी,सी,डी के अनुसार तरमीम दुरस्त की जाने के आदेश प्रदान करावें।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 व रेस्पो0 संख्या 3 व 4 के योग्य अधिवक्ताओं ने यह कथन किया कि प्रार्थीगण को अज्ञानतवश उक्त तरमीम का ज्ञान लम्बे समय तक नही हुआ तथा न ही पटवारी हल्का द्वारा उनको इस बाबत की कार्यवाही का नोटिस इत्यादि भी दिया गया है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का वर्तमान कब्जा काश्त आवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में बरंग काला की भूमि पर विप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है और इसी अनुसार प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की तरमीम राजस्व रेकर्ड में पटवारी हल्का को करनी चाहिए थी किंतु पटवारी हल्का ने जहां रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की कब्जासुदा भूमि में रेस्पो0 संख्या 3 व 4 की तरमीम कर दी जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दर्ज होने के पश्चात रेस्पो0 संख्या 3 व 4 को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित में अपना जवाब पेश किया तथा कथन किया कि उक्त संलग्न नक्शे अनुसार हमारा कब्जा काश्त है जो सही है तथा इसी नक्शे अनुसार हम दोनों खातेदारों का कब्जा काश्त है तथा हमारी खातेदारी भूमि ख0सं0 1209/651 रकबा 69.09 बीघा की तरमीम राजस्व रेकर्ड में सही करवाई जावे तो हम खातेदारों को कोई आपत्ति नहीं है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा हम रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उल्लेखित खसरा संख्या 1271/651 व 1209/651 की तरमीम प्रस्तुत नक्शें परिशिष्ठ 'अ' अनुसार राजस्व नक्शा को दुरूस्त करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये है जो उचित होने से बहाल रखा जावें।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि वर्तमान अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं बनता है क्योंकि अपीलान्ट वर्तमान समय में किसी भी प्रकार से वादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार घोषित नहीं है और न ही राजस्व रेकर्ड यानि जमाबन्दी में उनका नाम दर्ज हो रखा है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा उक्त भूमि खरीद की है जिसके अनुसार वे उक्त भूमि के विधिक एवं रेकर्डेड खातेदार बने है जिनका बेचान समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान अपीलान्टस का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा जो एक्सट्रा दस्तावेजात पेश किये गये है वो रूल 41 (27) के तहत पेश होने चाहिये थे

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

तथा उनकी एक प्रति वकील रेस्पोडेन्टस को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिये थी। इसके अतिरिक्त वकील अपीलान्ट के द्वारा जो अतिरिक्त दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी वास्ते पक्षकार बनाये जाने पेश करने व पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं लिये जाने बाबत कथन किये गये है वो बिल्कुल निराधार व असत्य है क्योंकि कोई भी न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों/प्रार्थना पत्रों को लिये जाने ग्रहण किये जाने से कतई मना नहीं कर सकता है। अपीलान्ट द्वारा यह दस्तावेज मनगढत रूप से तैयार कर न्यायालय हाजा को भटकाने के उद्देश्य से पेश किये गये है जो रेकर्ड पर लिये जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 28.09.2022 का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त खसरान भूमि के सम्बन्ध में राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व आवेदन संख्या 34/2022 अनवान रूपसिंह वगैराह बनाम भीखेन्द्रकंवर वगैराह जो ग्राम चौहटन के वादग्रस्त भूमि ख0सं0 1271/651 व ख0सं0 209/651 प्रस्तुत हो रखा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 अशोककुमार व 02 अनितादेवी के द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 136 के तहत नक्शे में गलत हो रखी तरमीम की दुरूस्ती हेतु राजस्व आवेदन संख्या 58/2022 पेश किया गया। रेस्पो0 एक व दो की ओर से प्रस्तुत राजस्व प्रकरण संख्या 58/2022 में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या 3 व 4 से खरीद की गई भूमि के अनुसार अपनी खरीदशुदा भूमि की मौके अनुसार तरमीम नही होकर राजस्व नक्शे गलत हो रखी तरमीम की दुरूस्ती हेतु निवेदन किया है। उक्त आवेदन पर तहसीलदार, चौहटन की ओर से जवाब पेश किया जिसमें प्रार्थना पत्र अनुसार नक्शें में तरमीम संशोधन किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना बताया, जिसके आधार पर रेस्पो0 संख्या एक व दो का आवेदन स्वीकार करते हुए तरमीम दुरूस्ती का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित एवं विधिनुकूल प्रतीत होता है।

अपीलान्ट की ओर से अपील में मुख्य रूप से कथन करना कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणात्मक दावा प्रस्तुत हो रखा है एवं स्थगन पारित हो रखा है। उक्त आधार पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश उक्त खातेदारी घोषणात्मक दावे में यदि वादग्रस्त भूमि में उन्हे खातेदारी घोषित जाती है तो वे उक्तानुसार वादग्रस्त भूमि में सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। रेस्पो0 संख्या एक व दो अपनी खरीदशुदा भूमि के अनुसार ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तरमीम शुद्धि हुए आवेदन किया था जिनका उन्हें अधिकार है। अपीलान्ट वर्तमान में राजस्व रेकर्ड/जमाबन्दी में उक्त भूमि का किसी प्रकार से घोषित खातेदार/काश्तकार दर्ज नहीं है जिसके आधार पर वह वादग्रस्त भूमि पर पारित आदेश को चुनौती दिये जाने की अधिकारिता रखता हो। अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण में कार्यवाही के विचारण के दौरान पक्षकार संयोजित किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही को भी यह न्यायालय संदेहास्पद मानता है क्योंकि प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ पत्र में दिनांक का विरोधाभास है और अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी के द्वारा भी प्रार्थना पत्र पेश करने बाबत कोई निर्देश नहीं दिये हुए है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, चौहटन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 18 सितम्बर, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/9/23

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर